केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

फोनः 23353503 फैक्सः 23753923

याचिका सं.22/टीएल/2024 दिनांकः 22.3.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड, फ्लैट नं.94, तृतीय तल, पॉकेट–4, एलआईजी फ्लैट्स, सेक्टर–11, द्वारका, नई दिल्ली–110075 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर "राजस्थान आरईजेड पीएच–IV (भाग–1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स): भाग–सी ("परियोजना") से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" की स्थापना के लिए आवेदक को अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, 15 और 79(1)(ङ) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	प्रत्येक सिरे पर प्रत्येक सर्किट के लिए 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ बीकानेर–III – नीमराना–II 765 केवी डी/सी लाइन (द्वितीय) • बीकानेर–III पीएस पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 2 नंबर • नीमराना–II पीएस पर 765 केवी, 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर – 2 नंबर • बीकानेर–III पीएस पर 765 केवी 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट – 2 नंबर • नीमराना–II एस/एस पर 765 केवी 330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट – 2 नंबर	24 मास
2.	बीकानेर–III पीएस एवं नीमराना–II एस/एस प्रत्येक पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर • 765 केवी लाइन बे – 4 नंबर (बीकानेर–III पीएस एवं नीमराना –II एस/एस प्रत्येक पर 2 नंबर)	

नोटः

बीकानेर–III एवं नीमराना–II एस/एस का विकासकर्ता, बीकानेर–III – नीमराना –II 765 केवी डी/सी लाइन (द्वितीय) के समापन के लिए बीकानेर–III पीएस एवं नीमराना–II एस/एस प्रत्येक पर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्थान के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 23.1.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 22/टीएल/2024 में दिनांक 21.3.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. बीकानेर III नीमराना II ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **https://www.tatapower.com/Error.aspx?aspxerrorpath=/investors/regulatory/regulatory-tbcbprojects.aspx** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **8.4.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **10.4.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)

सचिव